

प्रेषक,

निदेशक कारखाना, उ०प्र०,
जी०टी० रोड, कानपुर।

सेवा में,

श्री आलोक तिवारी,

प्रोपराइटर,

मेसर्स के०आर० टेक्नोसेफ इंजीनियर्स,

द्वितीय तल, ९, ऑफिस स्पेस, ओमैक्स एवेन्यू,

रायबरेली रोड, लखनऊ-26025

ई-मेल आई०डी० : krtelko@gmail.com, admin@krtechnosafe.in

संख्या:-3749 एफ/स०प्र०-उ०प्र०/संस्था/2025,

दिनांक 19-12-2024

विषय : कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 (ग क) के अधीन बनाये गये नियम-2(क) के अन्तर्गत सक्षम व्यक्ति की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- शून्य, दिनांक 28-11-2024 एवं पत्र दिनांक 12/12-2024 के सन्दर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि आपकी संस्था के श्री आलोक कुमार तिवारी, डायरेक्टर को वर्ष 2025 हेतु दिनांक 01-01-2025 से 31-12-2025 तक एवं वर्ष 2026 हेतु दिनांक 01-01-2026 से 31-12-2026 तक की अवधि के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-28, 29, 31 व 21(2) के अन्तर्गत "सक्षम व्यक्ति" की मान्यता प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र मूलरूप में निम्नलिखित शर्त साहित संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं :-

शर्त :

(1) वर्ष 2025 की समाप्ति पर सक्षमता प्रमाण पत्र पर उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ माह दिसम्बर, 2025 में ही उपरोक्त सक्षम व्यक्ति का स्वस्थता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

साथ ही आपसे अपेक्षा की जाती है कि वर्ष 2025 व 2026 हेतु जारी निम्न सक्षमता प्रमाण पत्र मूल रूप में वर्ष 2026 की समाप्ति के तत्काल उपरान्त इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :

1. सक्षमता प्रमाण पत्र सं०-स०प्र०-उ०प्र०/धारा-28/संस्था-026(i)/2025, दिनांक 19-12-2024
2. सक्षमता प्रमाण पत्र सं०-स०प्र०-उ०प्र०/धारा-29/संस्था-026(ii)/2025, दिनांक 19-12-2024
3. सक्षमता प्रमाण पत्र सं०-स०प्र०-उ०प्र०/धारा-31/संस्था-026(iii)/2025, दिनांक 19-12-2024
4. सक्षमता प्रमाण पत्र सं०-स०प्र०-उ०प्र०/धारा-21(2)/संस्था-026(iv)/2025, दिनांक 19-12-2024

भवदीय,

(संदीप कुमार गुप्ता)

मुख्य कारखाना निरीक्षक, उ०प्र०

दिनांक ,2024

संख्या:- एफ/स०प्र०-उ०प्र०/संस्था/2025,

प्रतिलिपि उप/सहायक निदेशक कारखाना, उ०प्र०,..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संदीप कुमार गुप्ता)

मुख्य कारखाना निरीक्षक, उ०प्र०



संदीप कुमार गुप्ता
मुख्य कारखाना निरीक्षक उ०प्र०

वर्ष-2025

कार्यालय- निदेशक कारखाना, उ०प्र०, जी०टी० रोड, कानपुर।

प्रमाण पत्र सं०-स०प्र०-उ०प्र०/धारा-28/संस्था-026(i)/2025

सक्षमता प्रमाण-पत्र

{धारा-2(ग क) के अधीन बनाये गये नियम-2-क}

मैं, संदीप कुमार गुप्ता, मुख्य कारखाना निरीक्षक, उ०प्र० कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2(ग क) और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एतद्वारा धारा-28 और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन उत्तर प्रदेश में अवस्थित किसी कारखाने में प्रयोग होने वाले ऐसे लिफ्टों और उतोलकों और ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयंत्र और उपकरण जैसी भी दशा हो, के लिए परीक्षण, परीक्षा, निरीक्षण और प्रमाणन करने के प्रयोजन के लिए -

संस्था "मेसर्स के०आर० टेक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9, ऑफिस स्पेस, ओमैक्स एवेन्यू, रायबरेली रोड, लखनऊ-26025" के

श्री आलोक कुमार तिवारी,

डायरेक्टर

धारा-28

को उनके सम्मुख अंकित धाराओं के प्रयोजनार्थ "सक्षम व्यक्ति" के रूप में मान्यता देता हूँ।

यह प्रमाण पत्र दिनांक 01-01-2025 से 31-12-2025 तक एवं दिनांक 01-01-2026 से 31-12-2026 तक विधिमान्य है।

यह प्रमाण पत्र नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए जारी किया जाता है -

- (एक) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार किये जायेंगे।
- (दो) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण सक्षम व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण में किये जायेंगे।
- (तीन) किसी व्यक्ति के पक्ष में जारी किया गया सक्षमता प्रमाण पत्र रद्द हो जायेगा, यदि व्यक्ति अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित संगठन को छोड़ देता है।
- (चार) "सक्षम व्यक्ति" के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था परीक्षण, परीक्षा/और निरीक्षण करने के लिए अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम, पदनाम और अर्हताओं से मुख्य निरीक्षक को सूचित करता रहेगा।
- (पाँच) "सक्षम व्यक्ति" द्वारा जारी किये गये परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण प्रमाण पत्र एवं उनकी प्रतियों पर सक्षमता प्रमाण पत्र सं०-स०प्र०-उ०प्र०/धारा-28/संस्था-026(i)/2026 निश्चित रूप से अंकित किया जायेगा।
- (छः) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण का प्रमाण पत्र श्री आलोक कुमार तिवारी, डायरेक्टर मेसर्स के०आर० टेक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9, ऑफिस स्पेस, ओमैक्स एवेन्यू, रायबरेली रोड, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।
- (सात) सक्षम व्यक्ति/संस्था द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों को निरन्तर अच्छी एवं कार्य योग्य दशा में बनाये रखा जायेगा और समय-समय पर बाह्य दक्ष तकनीकी संस्था से कैलीब्रेशन किया जायेगा और उसका प्रमाण पत्र कैलीब्रेशन के 15 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेगा।
- (आठ) सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों की सूची, जिसमें कारखानों के नाम, एवं उपकरणों की संख्या की सूचना हो, प्रत्येक छमाही के समाप्त होने के दस दिन के अन्दर क्षेत्रीय सहायक निदेशक कारखाना, संभागीय उप निदेशक कारखाना एवं निदेशक कारखाना, उ०प्र० (मुख्य कारखाना निरीक्षक) को निश्चित रूप से प्रेषित किया जायेगा।
- (नौ) कारखाना परिसर में उक्त धारा से सम्बन्धित उपकरणों के परीक्षण किये जाते समय स्वयं व कारखाने के अधिष्ठाता/प्रबन्धक/सेफ्टी आफिसर के साथ परीक्षण स्थल के सम्मुख खड़े होकर एक फोटोग्राफ, जिस पर कारखाने का नाम व तिथि अंकित हो, की प्रति सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्रों के साथ संलग्न की जाये।
- (दस) पूर्व में जारी सक्षमता प्रमाण पत्र सं०-स०प्र०-उ०प्र०/धारा-28/संस्था-026(i)/2023, दिनांक 28-12-2022, जो कि दिनांक 31-12-2024 तक की अवधि के लिए जारी किया गया था, अब लागू नहीं होगा।


स्थान : कानपुर।

दिनांक : 19-12-2024

मुख्य निरीक्षक के हस्ताक्षर

शासकीय मुद्रा

संदीप कुमार गुप्ता
मुख्य कारखाना निरीक्षक उ०प्र०



मुख्य कारखाना निरीक्षक उ०प्र०

वर्ष-2025

कार्यालय- निदेशक कारखाना, उ०प्र०, जी०टी० रोड, कानपुर।

प्रमाण पत्र सं०-स०प्र०-उ०प्र०/धारा-29/संस्था-026(ii)/2025

सक्षमता प्रमाण-पत्र

{धारा-2(ग क) के अधीन बनाये गये नियम-2-क}

मैं, **संदीप कुमार गुप्ता**, मुख्य कारखाना निरीक्षक, उ०प्र० कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2(ग क) और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एतद्वारा धारा-29 और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन उत्तर प्रदेश में अवस्थित किसी कारखाने में प्रयोग होने वाले ऐसे लिफ्टिंग मशीनों और लिफ्टिंग टैंकल्स और ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयंत्र और उपकरण जैसी भी दशा हो, के लिए परीक्षण, परीक्षा, निरीक्षण और प्रमाणन करने के प्रयोजन के लिए -

संस्था "मेसर्स के०आर० टेक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9, ऑफिस स्पेस, ओमैक्स एवेन्यू, रायबरेली रोड, लखनऊ-26025" के

श्री आलोक कुमार तिवारी,

डायरेक्टर

धारा-29

को उनके सम्मुख अंकित धाराओं के प्रयोजनार्थ "सक्षम व्यक्ति" के रूप में मान्यता देता हूँ।

यह प्रमाण पत्र दिनांक 01-01-2025 से 31-12-2025 तक एवं दिनांक 01-01-2026 से 31-12-2026 तक विधिमान्य है।

यह प्रमाण पत्र नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए जारी किया जाता है -


- (एक) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार किये जायेंगे।
- (दो) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण सक्षम व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण में किये जायेंगे।
- (तीन) किसी व्यक्ति के पक्ष में जारी किया गया सक्षमता प्रमाण पत्र रद्द हो जायेगा, यदि व्यक्ति अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित संगठन को छोड़ देता है।
- (चार) "सक्षम व्यक्ति" के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था परीक्षण, परीक्षा/और निरीक्षण करने के लिए अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम, पदनाम और अर्हताओं से मुख्य निरीक्षक को सूचित करता रहेगा।
- (पाँच) "सक्षम व्यक्ति" द्वारा जारी किये गये परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण प्रमाण पत्र एवं उनकी प्रतियों पर सक्षमता प्रमाण पत्र सं०-स०प्र०-उ०प्र०/धारा-29/संस्था-026(ii)/2025 निश्चित रूप से अंकित किया जायेगा।
- (छ) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण का प्रमाण पत्र श्री आलोक कुमार तिवारी, डायरेक्टर मेसर्स के०आर० टेक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9, ऑफिस स्पेस, ओमैक्स एवेन्यू, रायबरेली रोड, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।
- (सात) सक्षम व्यक्ति/संस्था द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों को निरन्तर अच्छी एवं कार्य योग्य दशा में बनाये रखा जायेगा और समय-समय पर बाह्य दक्ष तकनीकी संस्था से कैलीब्रेट किया जायेगा और उसका प्रमाण पत्र कैलीब्रेशन के 15 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेगा।
- (आठ) सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों की सूची, जिसमें कारखानों के नाम, एवं उपकरणों की संख्या की सूचना हो, प्रत्येक छमाही के समाप्त होने के दस दिन के अन्दर क्षेत्रीय सहायक निदेशक कारखाना, संभागीय उप निदेशक कारखाना एवं निदेशक कारखाना, उ०प्र० (मुख्य कारखाना निरीक्षक) को निश्चित रूप से प्रेषित किया जायेगा।
- (नौ) कारखाना परिसर में उक्त धारा से सम्बन्धित उपकरणों के परीक्षण किये जाते समय स्वयं व कारखाने के अधिष्ठाता/प्रबन्धक/सेप्टी आफिसर के साथ परीक्षण स्थल के सम्मुख खड़े होकर एक फोटोग्राफ, जिस पर कारखाने का नाम व तिथि अंकित हो, की प्रति सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्रों के साथ संलग्न की जाये।
- (दस) पूर्व में जारी सक्षमता प्रमाण पत्र सं०-स०प्र०-उ०प्र०/धारा-29/संस्था-026(ii)/2023, दिनांक 28-12-2022, जो कि दिनांक 31-12-2024 तक की अवधि के लिए जारी किये गये थे, अब लागू नहीं होंगे।

स्थान : कानपुर।

दिनांक : 19-12-2024

मुख्य निरीक्षक के हस्ताक्षर
शासकीय मुद्रा


संदीप कुमार गुप्ता
मुख्य कारखाना निरीक्षक उ०प्र०



संदीप कुमार गुप्ता
मुख्य कारखाना निरीक्षक उ०प्र०

वर्ष-2025

कार्यालय- निदेशक कारखाना, उ०प्र०, जी०टी० रोड, कानपुर।

प्रमाण पत्र सं०-स०प्र०-उ०प्र०/धारा-31/संस्था-026(iii)/2025

सक्षमता प्रमाण-पत्र

{धारा-2(ग क) के अधीन बनाये गये नियम-2-क}

मैं, संदीप कुमार गुप्ता, मुख्य कारखाना निरीक्षक, उ०प्र० कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2(ग क) और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एतद्वारा धारा-31 और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन उत्तर प्रदेश में अवस्थित किसी कारखाने में प्रयोग होने वाले ऐसे प्रेशर संयंत्रों और ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयंत्र और उपकरण जैसी भी दशा हो, के लिए परीक्षण, परीक्षा, निरीक्षण और प्रमाणन करने के प्रयोजन के लिए -

संस्था "मेसर्स के०आर० टेक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9, ऑफिस स्पेस, ओमैक्स एवेन्यू, रायबरेली रोड, लखनऊ-26025" के

श्री आलोक कुमार तिवारी,

डायरेक्टर

धारा-31

को उनके सम्मुख अंकित धाराओं के प्रयोजनार्थ "सक्षम व्यक्ति" के रूप में मान्यता देता हूँ।

यह प्रमाण पत्र दिनांक 01-01-2025 से 31-12-2025 तक एवं दिनांक 01-01-2026 से 31-12-2026 तक विधिमान्य है।

यह प्रमाण पत्र नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए जारी किया जाता है -

- (एक) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार किये जायेंगे।
- (दो) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण सक्षम व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण में किये जायेंगे।
- (तीन) किसी व्यक्ति के पक्ष में जारी किया गया सक्षमता प्रमाण पत्र रद्द हो जायेगा, यदि व्यक्ति अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित संगठन को छोड़ देता है।
- (चार) "सक्षम व्यक्ति" के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था परीक्षण, परीक्षा/और निरीक्षण करने के लिए अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम, पदनाम और अर्हताओं से मुख्य निरीक्षक को सूचित करता रहेगा।
- (पाँच) "सक्षम व्यक्ति" द्वारा जारी किये गये परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण प्रमाण पत्र एवं उनकी प्रतियों पर सक्षमता प्रमाण पत्र सं०-स०प्र०-उ०प्र०/धारा-31/संस्था-026(iii)/2025 निश्चित रूप से अंकित किया जायेगा।
- (छ) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण का प्रमाण पत्र श्री आलोक कुमार तिवारी, डायरेक्टर मेसर्स के०आर० टेक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9, ऑफिस स्पेस, ओमैक्स एवेन्यू, रायबरेली रोड, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।
- (सात) सक्षम व्यक्ति/संस्था द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों को निरन्तर अच्छी एवं कार्य योग्य दशा में बनाये रखा जायेगा और समय-समय पर बाह्य दक्ष तकनीकी संस्था से कैलीब्रेट किया जायेगा और उसका प्रमाण पत्र कैलीब्रेशन के 15 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेगा।
- (आठ) सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों की सूची, जिसमें कारखानों के नाम, एवं उपकरणों की संख्या की सूचना हो, प्रत्येक छमाही के समाप्त होने के दस दिन के अन्दर क्षेत्रीय सहायक निदेशक कारखाना, संभागीय उप निदेशक कारखाना एवं निदेशक कारखाना, उ०प्र० (मुख्य कारखाना निरीक्षक) को निश्चित रूप से प्रेषित किया जायेगा।
- (नौ) कारखाना परिसर में उक्त धारा से सम्बन्धित उपकरणों के परीक्षण किये जाते समय स्वयं व कारखाने के अधिष्ठाता/प्रबन्धक/सेप्टी आफिसर के साथ परीक्षण स्थल के सम्मुख खड़े होकर एक फोटोग्राफ, जिस पर कारखाने का नाम व तिथि अंकित हो, की प्रति सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्रों के साथ संलग्न की जाये।
- (दस) पूर्व में जारी सक्षमता प्रमाण पत्र सं०-स०प्र०-उ०प्र०/धारा-31/संस्था-026(iii)/2023, दिनांक 28-12-2022, जो कि दिनांक 31-12-2024 तक की अवधि के लिए जारी किये गये थे, अब लागू नहीं होंगे।


स्थान : कानपुर।

दिनांक : 19-12-2024

मुख्य निरीक्षक के हस्ताक्षर

शासकीय मुद्रा

संदीप कुमार गुप्ता
मुख्य कारखाना निरीक्षक उ०प्र०



संदीप कुमार गुप्ता
मुख्य कारखाना निरीक्षक उ०प्र०

वर्ष-2025

कार्यालय- निदेशक कारखाना, उ०प्र०, जी०टी० रोड, कानपुर।

प्रमाण पत्र सं०-स०प्र०-उ०प्र०/धारा-21(2)/संस्था-026(iv)/2025

सक्षमता प्रमाण-पत्र

[धारा-2(ग क) के अधीन बनाये गये नियम-2-क]

मैं, **संदीप कुमार गुप्ता**, मुख्य कारखाना निरीक्षक, उ०प्र० कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2(ग क) और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एतद्वारा धारा-21(2) और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन उत्तर प्रदेश में अवस्थित किसी कारखाने में प्रयोग होने वाले ऐसी खतरनाक मशीनों और ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयंत्र और उपकरण जैसी भी दशा हो, के लिए परीक्षण, परीक्षा, निरीक्षण और प्रमाणन करने के प्रयोजन के लिए -

संस्था "मेसर्स के०आर० टेक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9, ऑफिस स्पेस, ओमैक्स एवेन्यू, रायबरेली रोड, लखनऊ-26025" के

श्री आलोक कुमार तिवारी,

डायरेक्टर

धारा-21(2)

को उनके सम्मुख अंकित धाराओं के प्रयोजनार्थ "सक्षम व्यक्ति" के रूप में मान्यता देता हूँ।

यह प्रमाण पत्र दिनांक 01-01-2025 से 31-12-2025 तक एवं दिनांक 01-01-2026 से 31-12-2026 तक विधिमान्य है।

यह प्रमाण पत्र नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए जारी किया जाता है -

- (एक) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार किये जायेंगे।
- (दो) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण सक्षम व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण में किये जायेंगे।
- (तीन) किसी व्यक्ति के पक्ष में जारी किया गया सक्षमता प्रमाण पत्र रद्द हो जायेगा, यदि व्यक्ति अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित संगठन को छोड़ देता है।
- (चार) "सक्षम व्यक्ति" के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था परीक्षण, परीक्षा/और निरीक्षण करने के लिए अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम, पदनाम और अर्हताओं से मुख्य निरीक्षक को सूचित करता रहेगा।
- (पाँच) "सक्षम व्यक्ति" द्वारा जारी किये गये परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण प्रमाण पत्र एवं उनकी प्रतियों पर सक्षमता प्रमाण पत्र सं०-स०प्र०-उ०प्र०/धारा-21(2)/संस्था-026(iv)/2025 निश्चित रूप से अंकित किया जायेगा।
- (छः) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण का प्रमाण पत्र श्री आलोक कुमार तिवारी, डायरेक्टर मेसर्स के०आर० टेक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9, ऑफिस स्पेस, ओमैक्स एवेन्यू, रायबरेली रोड, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।
- (सात) सक्षम व्यक्ति/संस्था द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों को निरन्तर अच्छी एवं कार्य योग्य दशा में बनाये रखा जायेगा और समय-समय पर बाह्य दक्ष तकनीकी संस्था से कैलीब्रेट किया जायेगा और उसका प्रमाण पत्र कैलीब्रेशन के 15 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेगा।
- (आठ) सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों की सूची, जिसमें कारखानों के नाम, एवं उपकरणों की संख्या की सूचना हो, प्रत्येक छमाही के समाप्त होने के दस दिन के अन्दर क्षेत्रीय सहायक निदेशक कारखाना, संभागीय उप निदेशक कारखाना एवं निदेशक कारखाना, उ०प्र० (मुख्य कारखाना निरीक्षक) को निश्चित रूप से प्रेषित किया जायेगा।
- (नौ) कारखाना परिसर में उक्त धारा से सम्बन्धित उपकरणों के परीक्षण किये जाते समय स्वयं व कारखाने के अधिष्ठाता/प्रबन्धक/सेप्टी आफीसर के साथ परीक्षण स्थल के सम्मुख खड़े होकर एक फोटोग्राफ, जिस पर कारखाने का नाम व तिथि अंकित हो, की प्रति सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्रों के साथ संलग्न की जाये।
- (दस) पूर्व में जारी सक्षमता प्रमाण पत्र सं०-स०प्र०-उ०प्र०/धारा-21(2)/संस्था-026(iv)/2023, दिनांक 28-12-2022, जो कि दिनांक 31-12-2024 तक की अवधि के लिए जारी किये गये थे, अब लागू नहीं होंगे।

स्थान : कानपुर।

दिनांक : 19-12-2024

मुख्य निरीक्षक के हस्ताक्षर

शासकीय मुद्रा


संदीप कुमार गुप्ता
मुख्य कारखाना निरीक्षक उ०प्र०